न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2014 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2014/00030

अनवान

1. श्री अमरसिंह पिता लालसिंह झाला, निवासी बदराणा, तहसील झाड़ोल (फ.), जिला उदयपुर।

—प्रार्थी / अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर।

— विपक्षी / रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल (फ.), आदेश 34/2013 दिनांक 03.10.2013

* निर्णय *

दिनांक— 18-01-2018

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 03.10.2013 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट का मौजा झाड़ोल, तहसील झाड़ोल (फ.) की आराजी संख्या 626 किस्म बिलानाम राजकीय भूमि पर 0.0258हे. पर कोट वाउण्ड्रीलवाल बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, के आधार पर अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तलब किया जाने पर जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने का आदेश दिया गया हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट द्वारा अपने पशुधन के लिये घास रखने व मवेशी बांधने के लिये बाड़ा बनाया, जिस पर पिछले 20 वर्षो से भी अधिक अवधि से अपीलान्ट का आधिपत्य चला आ रहा है, इसका अंकन राजस्व रेकर्ड मे पी—14 मे दर्ज कर रखा हैं। अपीलान्ट द्वारा इसकी पुष्टि बाबत् अधिनस्थ न्यायालय मे अपने जवाब के साथ दस्तावेज भी पेश किये, किन्तु उसका अवलोकन किये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित कर दिया गया। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार टीएसपी एरिये मे सन् 2005 के पूर्व के नाजायज कब्जे को रेगुलराईज करने का आदेश दिया गया हैं। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना अपीलान्ट द्वारा जवाब दिये जाने की तिथि को ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2013 को निरस्त फरमाते हुए राज्य सरकार के

आदेशानुसार अपीलान्ट के आधिपत्य आराजी संख्या 626 पर किये गये कब्जे का नियमन किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण मे विपक्षी तहसीलदार झाड़ोल द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झाड़ोल की आराजी संख्या 626 किस्म बिलानाम होना सही है तथा प्रकरण मे विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर आराजी संख्या 626 रकबा 0.0258हे. बिलानाम भूमि से अतिक्रमी को बेदखल करने का विधि अनुकूल निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट झाड़ोल का निवासी न होकर बाहर का निवासी है एवं नाजायज कब्जा करने हेतु काबिज हुआ है। 20 वर्ष पुराना कब्जा होने का तथ्य गलत अंकित किया गया हैं। बाड़ा नियमन करने की समस्त शर्मो की सीमा मे अपीलान्ट नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। प्रकरण मे तहसीलदार से आदेश दिनांक 03.10.2013 से संबंधित मूल पत्रावली, मौका रिपोर्ट तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रांरभ करते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही को गलत बताया एवं राजस्थान सरकार के आदेशानुसार कब्जे को नियमन किये जाने बाबत् अनुरोध किया। बहस मे भाग लेते हुये राजकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा आराजी संख्या 626 का पर्याप्त सीमांकन कर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पटवारी हल्का को लिखा गया, जिस पर पटवारी हल्का झाड़ोल द्वारा दिनांक 16.08.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार आराजी संख्या 626 किस्म बिलानाम राजकीय भूमि पर अपीलान्ट श्री अमरसिंह पिता लालसिंह द्वारा 0.0258हे. पर कोट वाउण्ड्री बनाकर कब्जा किया जाना जाहिर आया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल द्वारा धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये एवं जवाब प्राप्त कर पर्याप्त सुनवाई करते हुए आराजी संख्या 626 किस्म बिलानाम भूमि रकबा 0.0258हे. से अतिक्रमी श्री अमरसिंह पिता लालसिंह को मौके से बेदखल करने के आदेश जारी किये जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी की नकल एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण ग्राम झाड़ोल, तहसील झाड़ोल की बिलानाम आराजी संख्या 626 रकबा 0.258हे. किस्म बिलानाम राजकीय भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है। तहसीलदार झाड़ोल के निर्देश पर पटवारी हल्का झाड़ोल द्वारा 16.08.2013 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट मे आराजी संख्या 626 रकबा 0.0258हे. पर अपीलान्ट श्री अमरसिंह पिता लालसिंह द्वारा कोट वाउण्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण करना पाया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट श्री अमरसिंह पिता लालसिंह को

नोटिस जारी किये, जवाब प्राप्त किया एवं पर्याप्त सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है, जो नियमानुसार है। अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कथन है कि राजस्थान सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र के 2005 से पुराने कब्जो को रेगुलराईज करने के निर्देश है, किन्तु इसकी पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेज अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किया है एवं अपीलान्ट बाड़ा नियमन किये जाने की शर्तो की सीमा मे आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी अपीलान्ट अधिवक्ता प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। बिलानाम राजकीय भूमि पर कब्जे करना, कब्जे को आधार बनाकर नियमन कराने का प्रयास करना अनुचित है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र मे स्वयं को मौजा बदराना का निवासी होना अंकन किया है, जबकि उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण मौजा झाड़ोल का हैं अर्थात अपीलान्ट मौजा झाड़ोल का निवासी न होकर बदराणा का निवासी हैं। ऐसी स्थिति मे तहसीलदार झाड़ोल द्वारा अतिक्रमियों के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने व मौके से बेदखल किये जाने बाबत की गई कार्यवाही नियमानुसार पायी जाती है। तहसीलदार झाड़ोल द्वारा प्रकरण मे अपने पत्र क्रमांक राज/2017/1128 दिनांक 21.12.2017 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट श्री अमरसिंह पिता लालसिंह द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जे को दिनांक 07.02.2014 को हटा दिया जाना पाया गया है एवं तब से मौके पर अपीलान्ट अमरसिंह पिता लालसिंह का कब्जा नही है। अपीलान्ट द्वारा अपील इस न्यायालय मे 13.12.2014 को पेश की है, जबकि कब्जा दिनांक 07.02.2014 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ले लिया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील प्रथम दृष्ट्या ही सारहीन पायी जाने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2013 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार झाड़ोल को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त भूमि पर दुबारा कोई कब्जे का प्रयत्न न करें एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर